By Speed Post

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. TK/1/2019/STGDH/SEHRMT/RU-I

Dated: 01/11/2019

To,

1. The Secretary,
Department of Irrigation and Public Health,
Government of Himachal Pradesh,
U.S. Club, Shimla- 171001

2. Executive Engineer,
Irrigation and Public Health Department,
Chauntra Division,
Chauntra, Mandi – 175032
(Himachal Pradesh)

Sub: Online representation dated 18.06.2019 of Shri Trilok Kapoor, Village & Post- Pathahar, Tehsil-Baijnath, District- Kangra, (Himachal Pradesh) regarding harassment by the officers of IPH, Govt. of Himachal Pradesh.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to enclose a copy of minutes of Sitting held in the National Commission for Scheduled Tribes on 24/09/2019 at 1:00 P.M. under the Chairmanship of Shri H.C. Vasava, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes in the matter.

It is, requested that action taken on the suggestions / recommendations of the Commission may please be sent to the NCST at the earliest.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(S.P. Meena)
Assistant Director
Tel: 011-24641640.

Copy to:

Shri Trilok Kapoor,
Village & Post- Pathahar,
Tehsil- Baijnath, District- Kangra,
(Himachal Pradesh)
(Mob: 9418800888)

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Member (HCV), NCST
2. NIC (please upload on the Commission's website and also send the e-mail to concerned)

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फाइल सं0 TK/1/2019/STGHP/DEOTH/RU-I

श्री त्रिलोक कपूर, गांव व डाकघर–पठाहर, तह.–बैजनाथ, जिला–कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) की छवि/प्रतिष्ठा के संबंध में शिकायत पर आयोग के माननीय सदस्य, श्री हर्षदभाई वसावा के समक्ष दिनांक 24.09.2019 को आयोग में हुई सीटिंग का कार्यवृत्त।

सीटिंग में भाग लेने वाले – परिशिष्ट क

श्री त्रिलोक कपूर गांव व डाकघर–पठाहर, तह.–बैजनाथ, जिला–कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) ने अपनी शिकायत दिनांक 18.06.2019 आयोग को प्रेषित कर अवगत कराया कि उनके गांव पठाहर से पंडोल पेयजल योजना से पानी की पाइप लाइन को बिछाने में इसलिए सहयोग किया था कि उक्त पेयजल योजना की पाइप लाइन से उनके गांव वालों को भी पानी का कनेक्शन मिलेगा। किंतु उक्त पाइप लाइन से उनको कनेक्शन नहीं दिया गया। जब उन्होंने आइपीएच विभाग के अधिशाषी अभियंता, श्री राजेश मोगरा, मंडल–चौंतड़ा, तह–जोगेंद्रनगर, जिला–मंडी को कनेक्शन हेतु फोन पर आग्रह किया तो उक्त अधिकारी ने कहा कि जानकारी लेकर संभव हुआ तो कनेक्शन दे देंगे। किंतु फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब उन्होंने संबंधित अधिकारी को कहा कि उनके घर से 500 मी. दूरी पर उसी पाइप लाइन से किसी और को कनेक्शन दे सकते हैं तो उनको कनेक्शन देने में क्या कठिनाई है। इस पर अधिशाषी अभियंता ने अपनी टीम भेजकर उनके पड़ोसी का पानी का कनेक्शन कटवा दिया गया। उक्त अधिकारी की टीम ने कहा कि श्री त्रिलोक कपूर के कहने पर आपका कनेक्शन काटा गया है। श्री त्रिलोक कपूर ने आयोग को बताया है कि इस प्रकार उक्त अधिशाषी अभियंता ने उनके 31 वर्ष के सुथरे राजनीतिक जीवन को पड़ोसियों के बीच कलंकित किया है जिसके लिए वह जिम्मेवार है। अतः उनपर कड़ी कार्रवाई की जाए।

आयोग द्वारा उक्त शिकायत/मामले पर रिपोर्ट हेतु सचिव, सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को पत्र दिनांक 20.06.2019 तथा अधिशाषी अधियंता, सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग, मंडल–चौंतड़ा, जिला–मंडी को 21.06.2019 भेजा गया। जिस पर सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने पत्र दिनांक 26.06.2019 द्वारा अवगत कराया कि श्री त्रिलोक कपूर की शिकायत की प्रति उनको प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त प्रति ई–मेल पर भेजी जाए।

इस संबंध में पुनः श्री त्रिलोक कपूर ने आयोग को अपनी अनुवर्ती शिकायत दिनांक 02.09.2019 आयोग को प्रस्तुत की। मामले में आयोग के माननीय सदस्य श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

वसावा द्वारा दिनांक 24.09.2019 को संबंधित अधिकारीगण के साथ आयोग में सीटिंग तय की गई। उक्तानुसार संबंधित सीटिंग नोटिस जारी किया गया।

मामले में दिनांक 24.09.2019 को डॉ0 आर.एन. बट्टा, सचिव, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा श्री राजेश मोंगरा, अधिशाषी अभियंता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, मंडल–चौंतड़ा आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। श्री त्रिलोक कपूर भी उक्त दिन सीटिंग में उपस्थित हुए। मामले में विस्तृत चर्चा/सुनवाई हुई।

मामले में विस्तृत चर्चा करने के उपरांत आयोग ने यह पाया कि संबंधित अधिशाषी अभियंता ने श्री त्रिलोक कपूर की राजनीतिक/सामाजिक छवि को नहीं पहचान कर गांव में पंडोल पेयजल योजना की पाइप लाइन से गांव के पड़ोसीगण का पानी का कनेक्शन कटवाया गया जो कि ठीक नहीं था। अतः मामले में आयोग, हिमाचल प्रदेश शासन को सिफारिश करता है कि :–

1. अधिशाषी अभियंता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, मंडल–चौंतड़ा स्वयं अपनी टीम सहित गांव जाकर सार्वजनिक तौर पर यह बयान करें कि उक्त पाइप लाइन से पड़ोसीगण का कनेक्शन स्वयं उनके आदेश पर काटा गया है न कि श्री त्रिलोक कपूर के कहने पर।

2. अधिशाषी अभियंता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, मंडल–चौंतड़ा गांव में जाकर सबकों यह भी स्पष्ट करें कि श्री त्रिलोक कपूर उनके क्षेत्र एवं गांव के शुभ चिंतक एवं हितैषी हैं।

3. उक्त पंडोल पेयजल योजना से श्री त्रिलोक कपूर के गांव में भी पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाये जाए।

मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को अविलम्ब भिजवाई जाए।

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट–क

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फाइल सं0 TK/1/2019/STGHP/DEOTH/RU-I

श्री त्रिलोक कपूर, गांव व डाकघर–पठाहर, तह.–बैजनाथ, जिला–कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) की छवि/प्रतिष्ठा के संबंध में शिकायत पर आयोग के माननीय सदस्य, श्री हर्षदभाई वसावा के समक्ष दिनांक **24.09.2019** को आयोग में हुई सीटिंग में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली

1. श्री हर्षदभाई वसावा, माननीय सदस्य — अध्यक्ष
2. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक
3. श्री एच.आर. मीना, वरिष्ठ अन्वेषक
4. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, परामर्शक
5. श्री विकास कुमार शर्मा, परामर्शक (विधि)

हिमाचल प्रदेश सरकार

1. डॉ. आर.एन. बट्टा, सचिव, सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग
2. श्री राजेश मोंगरा, अधिशाषी अभियंता, सचिव, सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग, मंडल–चौंतड़ा

अंभ्यावेदक

1. श्री त्रिलोक कपूर